प्रेस नोट
दिनांक 02.04.2025, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ई–रिक्शा बरामद–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–233/25, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए शातिर चोर नूर आलम पुत्र मकबूल अहमद नि0 मो0 लेहडीपुरम रघुकुल थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को बादशाह बाग चौराहा जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का 01 अदद ई–रिक्शा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 01.04.2025 को वादी मो0 खालिक पुत्र जीमल अहमद नि0 मोहल्ला अहिरान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा अपना ई–रिक्शा लेकर अपने मित्र मुन्ना नि0 काशीराम आवास सिविल लाइन निकट छात्रावास गया था। जहां से अज्ञात चोर द्वारा उनका ई–रिक्शा चोरी कर लिया गया था। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 अविनाश सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 24.02.2024 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त नूर आलम को बादशाह बाग चौराहा जाने वाली रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का ई–रिक्शा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तग के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. नूर आलम पुत्र मकबूल अहमद नि0 मो0 लेहडीपुरम रघुकुल थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–
01. मु0अ0सं0–233/25, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद ई–रिक्शा बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अविनाश सिंह।
02. हे0का0 मनोज यादव।
03. का0 पंकज यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।